

No. HQ/PIO/RTI/147/14

Dt: 22.07.2014

**Sh. Shakti Singh Chauhan,**  
"Shakti Kunj", Near Railway Line,  
Subhash Nagar, Vyahwar Road,  
Ajmer (Rajasthan)-305001.

**Sub:** Information under RTI Act- 2005.

**Ref:** Your application dt. 05.06.2014, received in this office on 18.06.2014.

संबंधित विभाग से प्राप्त बिन्दुवार सूचना निम्नलिखित है:-

बिन्दु सं.5(i):- डीएफसीसीआईएल के लिये अवाप्त की गई भूमि के मुआवजा राशि पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत सरकार के नियमानुसार टीडीएस राशि की कटौती की जा रही है।


बिन्दु सं.5(ii) & (iii):- डीएफसीसीआईएल के लिये मालभाड़ा ट्रेक के लिये अवाप्त की गई भूमि के मुआवजा राशि पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जा रही कटौती डीएफसीसीआईएल के कॉरपोरेट ऑफिस के पत्रांक HQ/F&AC/LA/1 दिनांक 02-07-2012 एवं Government of India, Ministry of Rural Development, Department of Land Resources (Land Reforms Division) letter no. F.No. 24011/1/2009-LRD dated 13th April, 2011. एवं आयकर विभाग के आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 194 LA के अनुसार की जा रही है। इसकी प्रति 5 पृष्ठ की है जिसका की नियमानुसार शुल्क सीपीएम/अजमेर कार्यालय में जमा कर प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकती है।

बिन्दु सं.5(iv):- सीपीएम/अजमेर से सम्बन्धित डीएफसी परियोजना के लिये समस्त टेण्डर प्रक्रिया के दस्तावेज कॉरपोरेट कार्यालय में उपलब्ध है जिनका नियमानुसार अवलोकन आप किसी भी कार्यदिवस पर करके प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं।

बिन्दु सं.5(v):- मदार स्टेशन से गढ़ीमालियान तक उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा नया सिंगल मालगाड़ी ट्रेक बिछाने संबंधी सूचना सीपीएम/अजमेर कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

बिन्दु सं.5(vi):- मदार से दौराई के मध्य वर्तमान में कार्यरत रेलवे की मालगाड़ी के बाईपास लाईन के साथ-साथ डाले जाने वाले डीएफसी ट्रेक्स के संबंध में जल संसाधन विभाग, अजमेर को जमा की गई राशि के संबंध में सूचना की प्रतिलिपि एक पृष्ठ की है, नियमानुसार शुल्क जमा कर सीपीएम/अजमेर कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

बिन्दु सं.5(vii):- मदार से दौराई के मध्य वर्तमान में कार्यरत रेलवे के मालगाड़ी के बाईपास के साथ-साथ डीएफसीसीआईएल को प्रस्तावित किया गया है। इस परियोजना से संबंधित विभिन्न सर्वे PETS Reports, JICA/SAPROF Report एवं अन्य सर्वे संबंधी फाईलों में उपलब्ध है। इससे संबंधित आवश्यक फाइलों का अवलोकन आपके द्वारा दिनांक 30.05.2014 किया जा चुका है एवं आपको वांछित दस्तावेजों की प्रतिलिपि पूर्व में मुफ्त उपलब्ध करवायी जा चुकी है। अतः नियमानुसार आप पुनः इनका अवलोकन कर इनकी प्रतिलिपि आवश्यक शुल्क जमा कर सीपीएम/अजमेर कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

  
(Rajiv Bhatnagar)  
DGM/PIO

Copy to:

1. CPM/Ajmer
2. GM/MA/WC

**DESPATCH**

*R*  
*3/17*  
*D.*